भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

<u>प्रेस नोट</u>

सं. ईसीआई/पीएन/10/2018 दिनांक: 24 जनवरी, 2018

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
'निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के समावेशन' पर
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करना और
गिनी, मॉल्डोवा और इंटरनेशनल आईडीईए के साथ
समझौता ज्ञापनों पर
हस्ताक्षर करना।

25 जनवरी 2018 को 8वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में, भारत निर्वाचन आयोग ने 'निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के समावेशन' पर 24 जनवरी 2018 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन के प्रतिनिधियों में पांच निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) नामत: आस्ट्रेलिया, भूटान, गिनी, मॉल्डोवा और जाम्बिया के अध्यक्ष/आयुक्त/वरिष्ठ अधिकारीगण और दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नामत: इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) और इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट फॉर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आइडिया) के प्रमुख शामिल थे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ओ.पी. रावत सम्मेलन को संबोधित करते हुए

अपने उद्घाटन सम्बोधन में, भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ओ.पी. रावत ने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक परम्पराओं को बनाए रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचनों

की पवित्रता को बरकरार रखने के भारत निर्वाचन आयोग के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है कि नि:शक्तजनों को समानता के आधार पर पूर्ण निर्वाचकीय सहभागिता का अधिकार है और उनके प्रति किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने उल्लेख किया कि अब समय आ गया है कि प्रतीकवाद से आगे बढ़ा जाए और अपने मताधिकार का प्रयोग करने में नि:शक्तजनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मतदान केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करके भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई प्रमुख पहल का उल्लेख किया जिससे मतदान केन्द्र, मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए नि:शक्तजनों के अधिक अनुकूल बन सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रयास में सम्मेलन से सभी हितधारकों को उपयोगी सीख मिलेगी।

अपने संबोधन में निर्वाचन आयुक्त, श्री सुनील अरोड़ा ने उल्लेख किया कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जहां एक मूल एवं सार्वभौमिक विधिक दस्तावेज़ है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की नींव रखता है, वहीं नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों का यूएन कन्वेंशन, 2006 नि:शक्तजनों के अधिकारों को विशेष रूप से मान्यता देता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संधियां और हमारा संविधान, भारत निर्वाचन आयोग के लिए व्यापक नीतिपरक समावेशी फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। उन्होंने मि. स्टीफन हॉकिंग, प्रसिद्ध लेखक एवं भौतिक-विज्ञानी के साथ-साथ यूएस के डा. अलीम चांदनी के प्रेरक मामलों का उदाहरण दिया जिन्होंने समाज में वृहत्तर रूप से नि:शक्तजनों के समावेशन के संबंध में पथप्रदर्शक के रूप में कार्य किया है।

निर्वाचन आयुक्त, श्री अशोक लवासा ने उल्लेख किया कि निर्वाचन, सहभागिता बढ़ाने और नि:शक्तजनों की क्षमता के बारे में सार्वजनिक धारणाओं को बदलने, समान नागरिकों के रूप में उनकी आवाज को शामिल करने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक एकीकरण के लिए मंच नियत करने का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। उन्होंने मि. स्टीफन हॉकिंग की प्रसिद्ध उक्ति का उद्धरण दिया, *"हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सहभागिता के अवरोधों को दूर करें, और नि:शक्त व्यक्तियों की अपार क्षमता को खोलने के लिए निधि की समुचित व्यवस्था करने एवं सुविज्ञता में निवेश करें।"* उन्होंने आगे कहा कि कई देशों द्वारा नि:शक्त मतदाताओं के साथ जुड़ने के लिए आकर्षक संचार कार्यनीतियों के माध्यम से प्रभावी अभियान तैयार किए गए हैं और अपनाए गए हैं। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप प्रतिभागियों के बीच सशक्त संवाद होगा और अनुभव साझा किए जाएंगे जिनसे परस्पर उपयोगी सीख मिलेगी।

अपने स्वागत संबोधन में, श्री उमेश सिन्हा, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस की महत्ता को उजागर किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन निर्वाचन एवं निर्वाचकीय प्रक्रियाओं को सबके लिए सुलभ करने की भारत निर्वाचन आयोग की पहल का हिस्सा है। 'सुगम निर्वाचन' को इस साल के 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' आयोजन के केन्द्रीय थीम के रूप में चुना गया है। यह थीम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्निहित दर्शन और 'कोई भी मतदाता न छूटे' की संकल्पना के साथ निर्बाध रूप में एकीकृत होती है। 'क्रॉसिंग द बैरियर्स: मेकिंग इलेक्शन्स फ्रेंडली एण्ड एक्सेसिबल फॉर पीडब्ल्यूडी इन इंडिया' शीर्षक पर अपने

प्रस्तुतीकरण में उन्होंने नि:शक्तजनों द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख अवरोधों एवं चुनौतियों और निर्वाचन प्रक्रिया में उनका समावेशन सुनिश्चित करने में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई पहल से प्रतिनिधियों को अवगत कराया।

सम्मेलन के दौरान तीन सत्र आयोजित किए गए जिसमें निर्वाचन प्रबंधन निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में विभिन्न निर्वाचन प्रबंधन निकायों के शीर्षस्थ/वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे और आईएफईएस और अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के प्रमुखों ने अपने-अपने प्रस्तुतीकरण दिए और सर्वोत्तम पद्धतियों, निर्वाचकीय कार्यों पर लक्षित पहल, पंजीकरण और विभिन्न देशों में दिव्यांगजनों द्वारा मतपत्र के प्रयोग में सक्रिय सहभागिता पर अपने अनुभवों को साझा किया।

भारत निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया हब का शुभारंभ: सम्मेलन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने जनता के लिए बड़े पैमाने पर अपने आइटरीच कार्यक्रम के भाग के रूप में अपने सोशल मीडिया हब, जिसमें फेसबुक और यू-ट्यूब शामिल थे, का उद्घाटन किया।

समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर: सम्मेलन से अलग, दिनांक 24 जनवरी, 2018 को भारत निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित निकायों के साथ निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए:

(1) नेशनल इंडीपेंडेंट इलेक्टोरल कमीशन (सीईएनआई) ऑफ गिनी

(2) सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ मालडोवा

(3) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रसी एण्ड इलेक्टोरल एसिसटेंस

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के साथ मालडोवा एवं रिपब्लिक ऑफ गिनी और अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के प्रतिनिधि

समझौता ज्ञापन संगठनात्मक एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव के विनिमय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थागत ढांचे का प्रावधान करना और निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन, सूचना, सामग्री, सुविज्ञता और निर्वाचन प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं के बारे में तकनीकी जानकारी का विनिमय करना एवं संगठनात्मक विकास तथा क्षमता संवर्धन के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रशासन और प्रबंधन में सहयोग के लिए दुनिया भर में अब तक 20 से अधिक निर्वाचन प्रबंधन निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह सम्मेलन वॉयस. नेट प्लेटफॉर्म, वैश्विक ज्ञान नेटवर्क जिसके पास 25 से अधिक निर्वाचन प्रबंधन निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता है, के अंतर्गत आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बाधाओं, नीतिगत इंटरवेशनों, कार्यनीतियों, कार्यक्रमों अच्छी प्रणालियों और निर्वाचन प्रक्रियाओं में निशक्तजनों को शामिल करने के लिए विभिन्न निर्वाचन प्रबंधन निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अनुभवों का साझा करने के प्रयोजनार्थ किया गया है।

वॉयस. नेट के अंतर्गत जारी होने वाली तिमाही पत्रिका - 'वॉयस इंटरनेशनल' ने अपना तीसरा संस्करण दिव्यांगजनों के निमित्त समर्पित किया है। इस संस्करण में देशभर के लोकतंत्रों में दिव्यांगजनों को शामिल करने पर ज्ञान साझा करने का समृद्ध अनुभव है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि 25 जनवरी, 2018 को द्वारका, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान के भावी कैम्पस में विजिट करने के अतिरिक्त नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में भी भाग लेंगे।

ह./-

(अजय कुमार)

सचिव, ईसीआई